भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1728

उत्तर देने की तारीख 02.03.2020

विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात

†1728. **श्री डी. एम. कथीर आनन्दः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (आरटीई) के अधिकार के तहत अधिदेशित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात और भौतिक बुनियादी ढांचे को बनाए रखने वाले विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम में अधिदेशित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और केंद्र शासित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जोकि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (अधिनियम), 2009 के तहत समुचित सरकार हैं और आरटीई अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु उत्तरदायी हैं| एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडाईस) 2017-18 (अनंतिम) के अनुसार, 95.56% स्कूलों में बालिका शौचालय हैं, 98.74% स्कूलों में छात्र शौचालय हैं, 97.18% स्कूलों में पेयजल सुविधा है, 72.26% स्कूलों में रैंप हैं, 59.86% स्कूलों में चारदीवारी हैं, 56.72% स्कूलों में खेल के मैदान हैं और 79.30% स्कूलों में पुस्तकालय हैं और 72% स्कूल पीटीआर अनुपालक हैं|

इसके अलावा, केंद्र सरकार अवसंरचना विकास पर व्यय सहित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को सहायता दे रही है| पूर्व की सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत 2017-18 तक और 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा, 3.12 लाख स्कूल भवनों के निर्माण, 18.98 लाख अतिरिक्त कक्षाओं, 2.46 लाख पेयजल सुविधाओं का प्रावधान और 4.10 लाख छात्र शौचालयों का निर्माण, 5.30 लाख अलग छात्रा शौचालय, 1.50 लाख विशेष आवश्यकता वाले (सीडब्ल्यूएसएन) बच्चों के शौचालयों और 2.83 लाख हैंड रेल्स वाले रैंप राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्राथमिक स्कूलों के लिए संस्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने

31.12.2019 तक प्रारंभिक 2.95 लाख स्कूल भवनों, 18.12 लाख अतिरिक्त कक्षाओं, 2.34 लाख पेयजल सुविधाओं का प्रावधान, 3.77 लाख छात्र शौचालयों का निर्माण, 5.09 लाख अलग बालिका शौचालयों, 1.22 लाख सीडब्ल्यूएसएन शौचालयों और 2.46 लाख हैंड रेल्स वाले रैंप की सूचना दी है|

****